

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या — 540 / 2006 / टोंक.

2. अपील संख्या — 541 / 2006 / टोंक.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-टोंक.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राजेश प्रोडक्ट्स, टोंक.

.....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या — 542 / 2006 / टोंक.

4. अपील संख्या — 543 / 2006 / टोंक.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-टोंक.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स आर. टी. इण्डस्ट्रीज, टोंक.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जे. एन. शर्मा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28 / 07 / 2017

निर्णय

1. ये चारों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-टोंक (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 3, 4, 2, 1 / सी.एस.टी. / 2005-2006 में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.07.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारियों की आलौच्य अवधियों वर्ष 2000-01 व 2001-02 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 37 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.04.2005 को अपास्त किया है।

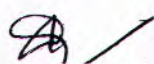
2. उपरोक्त दोनों अपीलों में तथ्यात्मक एवं विधिक बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उक्त दोनों व्यवहारियों द्वारा राज्य सरकार की अन्तर्राज्यीय विक्रय पर बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत लाभ लेने का प्रमाण-पत्र प्राप्त था जिसमें इन्हें विस्तारित क्षमता पर एक निश्चित प्रतिशत यथा देय कर की 70 एवं 60 प्रतिशत राशि की कर से मुक्ति

लगातार.....2

लेने की पात्रता थी। इस योजना के तहत दोनों ही व्यवसायियों के वर्ष 2000-01 व 2001-02 के केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 एवं राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 29(6) के तहत नियमित कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 27.12.2002; 27.11.2003; 27.11.2003 व 03.12.2002 को पारित करते हुए व्यवसायियों द्वारा दर्शाये गये टर्नओवर अनुसार करमुक्ति का लाभ प्रदान कर दिया गया था। तत्पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी को यह ध्यान में आने पर कि उक्त व्यवसायियों को प्रोत्साहन योजना के तहत जो कर से मुक्ति का लाभ प्रदान किया गया था वह उस उत्पादन पर ही प्राप्त योग्य था जो विस्तार से पूर्व उत्पादन क्षमता के 80 प्रतिशत की प्राप्ति के बाद का उत्पादन हो, जबकि मूल कर निर्धारण आदेशों में करमुक्ति का लाभ व्यवसायी के पूरे उत्पादन पर ही दे दिया गया था जो त्रुटिपूर्ण होने से इसे अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत पूर्व में पारित किये गये कर निर्धारण आदेशों को संशोधित कर अधिक प्राप्त किये गये लाभ की राशि को पुनः राजकोष में जमा कराये जाने के आदेश दिये जाने हेतु गणना की गयी एवं उस अदेय राशि पर ब्याज की देयता भी निर्धारित की गयी। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने सभी प्रकरणों में दिनांक 08.07.2005 को निर्णय पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत संशोधन किये जाने की अधिकारिता नहीं होना निर्णीत कर पारित कर निर्धारण आदेशों को अपास्त किया गया, जिसके विरुद्ध ये अपीलें राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं।

4. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं मिसलों का अवलोकन किया गया।
5. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश को अविधिक बताते हुए तर्क दिया कि मूल कर निर्धारण आदेशों में प्रोत्साहन योजना के तहत जो लाभ स्वीकार किया गया था उसके लिये दोनों ही व्यवसायी पात्रता नहीं रखते थे क्योंकि पात्रता प्रमाण-पत्र के अनुसार एवं प्रोत्साहन योजना के प्रावधानों के तहत करमुक्ति का लाभ केवल व्यवसायियों द्वारा विस्तारित क्षमता पर ही देय था जिसमें यह शर्त सम्मिलित थी कि मूल इकाई की क्षमता के 80 प्रतिशत उत्पादन से अधिक उत्पादन पर किये गये विक्रय पर ही करमुक्ति का लाभ प्राप्त होगा परन्तु मूल कर निर्धारण आदेश में लाभ देने में की गयी गणना में भूल की गयी थी अतः उक्त आदेश को संशोधित किया जाकर गणना की भूल को सुधार करते हुए केवल उसी लाभ की गणना की गयी जो पात्रता प्रमाण-पत्र अनुसार गणनीय थी, जिसकी पुनः गणना करना पूर्णतया संशोधन के प्रावधान के तहत अधिकारिता थी, परन्तु

 1115

लगातार.....3

अपीलीय अधिकारी ने इसे अपास्त करने में भूल की है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा इस तथ्य की जानकारी होने की वजह से ही इस सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने पर वे कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा भूल सुधार करते हुए जो अधिक लाभ कर निर्धारण आदेश में दर्शाया गया था उस राशि को मय ब्याज पुनः राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये गये थे। यह तर्क दिया कि प्रत्यर्थीगण की ओर से अपील की सुनवाई में भी इस तथ्य पर कोई कथन नहीं किया कि उनके द्वारा प्रोत्साहन योजना के तहत वास्तविक पात्रता से अधिक लाभ लिया गया है एवं उसकी गणना कर निर्धारण आदेश में भी गलत रूप से की गयी थी अर्थात् इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थीगण को प्रोत्साहन योजना के तहत करमुक्ति का लाभ दिये जाने की गणना त्रुटिपूर्ण की गयी थी। फलतः अधिक राशि का लाभ देने सम्बन्धी त्रुटि को सुधार किये जाने में धारा 37 का उपयोग विधिक रूप से किया गया था अतः राजस्व की अपीलें स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को बहाल किये जाने का अनुरोध किया।

6. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि उक्त विवादित आदेश अधिनियम की धारा 37 के तहत विधि के विरुद्ध पारित किये गये हैं क्योंकि अधिनियम की धारा 37 में केवल वे निर्णय ही संशोधित किये जा सकते हैं जिसमें रेकॉर्ड से परिलक्षित भूल हो। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किये गये थे, उनकी जांच में ऑडिट पार्टी द्वारा आक्षेप किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधन आदेश पारित किये गये हैं वे विधिविरुद्ध हैं। उन्होंने कथन किया कि विभिन्न माननीय न्यायिक निर्णयों में ऑडिट पार्टी के आक्षेप के आधार पर संशोधन किये जाने को विधि के विरुद्ध माना गया है अतः इस आधार पर भी पारित किये गये आदेशों को अपास्त किये जाने का अपीलीय आदेश उचित बताया।

7. व्यवहारीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रोत्साहन योजना के तहत व्यवसायी द्वारा अधिक लाभ प्राप्त किये जाने सम्बन्धी आपत्ति पर न तो अधिनियम की धारा 30 के तहत पुनः कर निर्धारण किया जा सकता है एवं न ही धारा 37 के तहत संशोधन किया जा सकता है बल्कि केवलमात्र अधिनियम की धारा 87 के तहत आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा रिवीजन किया जा सकता है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त धारा में किसी तरह की कार्यवाही का प्रस्ताव किये बिना जो आदेश पारित किया गया है वह अविधिक है।




8. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट अवधारित किया गया है कि संशोधन किये जाने हेतु दिये गये प्रावधानों के तहत केवल वे त्रुटि ही संशोधित की जा सकती हैं जो कि रेकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो एवं ऐसा कोई आदेश जो कि किसी गलत आदेश को दुरुस्त करने के लिये संशोधन की धारा के तहत प्रदत्त अधिकारिता को उपयोग में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ऐसे मामलों में जिसको किसी मामले में पूरे रिकॉर्ड की जांच की आवश्यकता हो, वे संशोधन के दायरे में न आकर रिव्यू या रिवीजन किये जा सकते हैं। उन्होंने कथन किया कि अधिनियम में रिव्यू किये जाने के कोई प्रावधान नहीं हैं बल्कि ऐसे मामलों में केवल आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा रिवीजन के आदेश किये जा सकते थे, अतः संशोधित आदेशों को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है।

9. प्रत्यर्थी व्यवहारीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों एवं कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया गया -

- A. 12 Tax Update 165 (Raj.) Asstt. Director Land & Building Taxes & Another vs. M/s R.S. Sharma & Another
- B. 1 S.T.O. 384 (RSTT) M/s Bhilwara Spinners Limited, Bhilwara vs. Commercial Taxes Officer, Special Circle, Bhilwara
- C. 10 VSTC 751 (SC) Deva Metal Powders Pvt. Ltd. vs. Commissioner, Trade Tax, U.P.
- D. 25 Vat Reporter 230 (RTB) Balaji Construction, Ajmer vs. ACTO, Flying Squad, Udaipur
- E. 39 Tax Update 51 (Raj.) ACTO, Ward-II, Chittorgarh vs. M/s. Sanwariya Oil Mills
- F. 7 Sales Tax Today 84 (Raj.) Commercial Tax Officer, A Circle, Bikaner vs. M/s. N.H. Industries, Loonkaransar
- G. 42 Tax Update 101 (Raj.) Assistant Commissioner, W C & L T, Alwar vs. M/s. P.N.C. Construction, Dholpur
- H. 38 Tax Update 140 (RTB) M/s. Mohindra Factory Pvt. Ltd. vs. CTO, Special Circle-III, Ajmer
- I. 39 Tax Update 248 (RTB) CTO, Anti-Evasion, Zone-1, Jaipur vs. M/s. Rajasthan State Road Transport Corporation, Jaipur
- J. 42 Tax Update 157 (RTB) CTO, Anti-Evasion, Jodhpur vs. M/s. Indian Rayon Industries Ltd. Jodhpur



- K. S.B. Sales Tax Revision Petition No. 73/11 (Raj.) Assistant Commissioner, Works Contract & Leasing Tax-II, Jaipur vs. M/s R. S. Electricals, Sawai Madhopur Order dated 13.12.2013
- L. (1969) 24 STC 491 (SC) Deputy Commissioner of Agricultural Income-Tax and Sales Tax, Quilon and Another vs. Dhanalakshmi Vilas Cashew Co.
- M. (1970) 26 STC 251 (SC) The State of Kerala vs. K.E.Nainan
- N. (1989) 75 STC 82 (AP) State of Andhra Pradesh vs. Ratna Sree Box Makers
- O. 29 Tax Update 253 (SC) ACTO vs. M/s Makkad Plastic Agencies
- P. (1997) 107 STC 103 (P & H) Haryana Co-Operative Sugar Mills Limited vs. State of Haryana

10. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

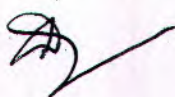
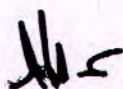
11. हस्तगत प्रकरणों में दोनों ही व्यावसायिक फर्मों को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत अन्तर्राज्यीय विक्रय पर "विस्तार (Expansion)" शीर्षक के तहत कर से मुक्ति प्राप्त करने का लाभ लेने हेतु प्रमाण-पत्र प्राप्त था। इसे स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये पूर्व स्थापित इकाईयों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर, उन्हें "विस्तार" (Expansion) के बाद उत्पादित होने वाले माल पर करमुक्ति का लाभ भी दिया गया था। उक्त प्रमाण-पत्र के अनुसार इकाई की "विस्तार" से पूर्व उत्पादन क्षमता के 80 प्रतिशत की क्षमता तक का उत्पादित माल कर योग्य होगा एवं 80 प्रतिशत क्षमता के बाद के उत्पादन पर प्रमाण-पत्र अनुसार करमुक्ति प्राप्त होगी अर्थात् इसमें कोई विवाद नहीं है कि उक्त दोनों प्रत्यर्थीगण को करमुक्ति (exemption) एक विशिष्ट लाभ के रूप में प्राप्त थी जिसकी गणना प्रमाण-पत्र अनुसार की जानी थी परन्तु कर निर्धारण आदेश में पूरी विक्रय राशि पर अर्थात् उस राशि पर भी करमुक्ति की गणना कर दी गयी जिसकी व्यवसायी को पात्रता नहीं थी। इस तरह आदेश में अधिक राशि की करमुक्ति देने की गणना करने के सम्बन्ध में हुई भूल को सुधार करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 का उपयोग कर भूल सुधार की गयी। प्रत्यर्थीगण द्वारा आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 37 का उपयोग किया है वह गलत है क्योंकि ऐसे मामलों में धारा 37 का सहारा नहीं लिया जा सकता। विद्वान अभिभाषक का यह कथन है कि ऐसे मामलों में आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 87 (Revision by Commissioner)

में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता था। इस तरह भूल से अधिक दिये गये लाभ को कम करने के लिये जो आदेश किया गया था उसे सुधारने के आदेश को धारा 37 में करना अविधिक बताया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विद्वान अभिभाषक ने इस बिन्दु पर विवाद नहीं किया है कि व्यवहारियों द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र से अधिक लाभ प्राप्त किया गया है एवं कर का भुगतान कम किया गया है।

12. उक्त तथ्यों के अनुसार यह प्रमाणित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारीगण द्वारा उन्हें स्वीकृत लाभ से अधिक राशि की करमुक्ति प्राप्त कर ली गई। इस तरह इन प्रकरणों में किसी भी तरह का ऐसा बिन्दु प्रश्नगत नहीं था कि करमुक्ति कितनी प्राप्त होगी बल्कि वह प्रमाण-पत्र से निश्चित थी। ऐसी स्थिति में कोई नया निर्णय लिये जाने का प्रश्न विचारणीय ही नहीं था बल्कि केवल गणना की गलती को सुधारने का ही प्रश्न था। अधिकृत प्रतिनिधि के विचार से ऐसे मामलों में धारा 87 (Revision by Commissioner) का ही उपयोग किया जाना अनुमत था एवं यह पूरा प्रकरण किसी रिव्यू की श्रेणी में आता है। यह तर्क दिया गया है कि ऑडिट पार्टी द्वारा तथ्यों की भूल को बताये जाने पर कोई भूल सुधार नहीं की जा सकती है। इन बिन्दुओं पर किये गये कथन एवं तर्कों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा विभिन्न माननीय न्यायिक निर्णयों के जो दृष्टान्त दिये गये हैं, उन पर विचार किया गया, परन्तु प्रत्येक निर्णय के अध्ययन पर यह पाया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्तुत विभिन्न निर्णयों में प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों अनुसार निर्णय किये गये हैं, जो प्रत्येक प्रकरण के तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति पर निर्भर हैं, जो इस प्रकरण के तथ्यों से सर्वथा भिन्न हैं।

13. विद्वान अभिभाषक ने यह कथन नहीं किया कि इन प्रकरणों में कर की गणना में कोई भूल नहीं थी, अर्थात् यह स्पष्ट है कि प्रकरण में कर निर्धारण आदेश में कोई भी ऐसा बिन्दु नहीं था जिस पर कोई दो राय हो जिस पर किसी निर्णय की आवश्यकता थी। बल्कि व्यवहारियों को करमुक्ति प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र अनुसार जो अधिकार था उसके अनुसार ही करमुक्ति की गणना की जानी चाहिये थी, परन्तु केवल भूल से उस विक्रय राशि पर भी करमुक्ति की गणना कर दी गयी जो प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र ही नहीं थी। इस तरह निर्धारण आदेश में की गई गलत गणना को बाद में स्वयं द्वारा या ऑडिट पार्टी द्वारा बताया जाने पर इसे अधिनियम की धारा 37 में ही दुरुस्त किया जा

लगातार.....7

सकता है, क्योंकि इसमें किसी जांच-पड़ताल की आवश्यकता नहीं थी बल्कि केवल देय लाभ की गणना का बिन्दु था जिसमें न तो विभिन्न मतों पर निर्णय करना था, न ही किसी विवेचना की आवश्यकता थी। इस तरह एक पूर्व निश्चित गणना करने का ही कार्य था।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णयों में यह सिद्धान्त दिया गया है कि केवलमात्र ऐसी भूल जिसमें किसी भी तरह की विवेचना की आवश्यकता नहीं हो या किसी निर्णय को बदलने की आवश्यकता नहीं हो, उन मामलों में संशोधन के प्रावधानों का उपयोग किया जा सकता है। सभी निर्णयों में यही कहा गया है कि ऐसी गलती जिसमें किसी पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं हो एवं न ही किसी रिकॉर्ड को देखे जाने की आवश्यकता हो तो उन मामलों में संशोधन ही किया जा सकता है तथा ऐसे मामलों में जहां पर केवल रिकॉर्ड में परिलक्षित भूल ही हो वहां किसी प्रकरण को Reopen करने के प्रावधान का सहारा नहीं लिया जा सकता क्योंकि Reopen केवल उन्हीं मामलों में किया जा सकता है जिसमें कोई नये तथ्य प्राप्त हुए हों या जिसमें पूर्व के किये गये कर निर्धारण आदेश में पुनः नये आदेश किये जाने की आवश्यकता हो। विद्वान अभिभाषक ने स्वयं ने यह कथन किया है कि इन दोनों ही फर्मों के समान मामले में माननीय कर बोर्ड द्वारा दिनांक 28.04.2017 को अपील संख्या 568/2012 व 569/2012 में यह निर्णय किया गया है कि करमुक्ति की गणना की भूल को सुधारने हेतु अधिनियम की धारा 30 में निर्धारण आदेश को Reopen किया गया है वह विधिक नहीं है क्योंकि पूर्व में जो कर निर्धारण आदेश किया गया था उसमें किसी भी तरह का escapement of turnover नहीं था बल्कि केवलमात्र mistake apparent on record थी। इस तरह स्वयं इन्हीं दोनों व्यवहारियों के मामलों में और इसी बिन्दु पर कर बोर्ड द्वारा यह निर्णय दिनांक 28.04.2017 को दिया जा चुका है कि गणना की भूल में संशोधन करने के लिये केवल धारा 37 का ही उपयोग किया जा सकता था अतः इन वर्षों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 37 का उपयोग कर कोई गलती नहीं की है।

15. विद्वान अभिभाषक द्वारा इस मामले में अधिनियम की धारा 87 (Revision by Commissioner) का प्रयोग करने मात्र का ही विकल्प होने का जो तर्क दिया गया है उस पर विचार किया गया कि क्या आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ऐसे मामलों में रिवीजन करने की शक्तियां थी या केवल धारा 37 में संशोधन किये जाने का ही मामला था, तब पाया कि धारा 87 में Revision

लगातार.....8

 545

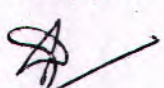
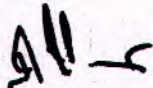
केवल उन मामलों में ही किया जा सकता है जिसमें कर निर्धारण में कोई गलत निर्णय होने से राजस्व की हानि हो गयी हो या किसी बिन्दु पर गलत निर्णय किया गया हो, जबकि इन प्रकरणों में किसी निर्णय का बिन्दु नहीं था बल्कि केवल गणना की भूल का ही बिन्दु था।

16. इस तरह इन प्रकरणों में मात्र एक पूर्व निश्चित लाभ की गणना करने में भूल की गयी थी उसमें किसी तरह का मतभेद नहीं था एवं न ही किसी निर्णय की आवश्यकता थी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा error एवं mistake पर विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त दिया गया है कि वे मामले भूल की श्रेणी में ही आयेंगे, जिसमें कि पुनर्विचार करने की या रिकॉर्ड एवं तथ्यों की पुनः पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं हो एवं कोई पुनः निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं हो। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु पर दिये गये निर्णयों का उद्धरण किया जाता है :-

A. M/s. Deva Metal Powders Pvt. Ltd vs Commissioner, Trade Tax, U.P on 4 December, 2007 CASE NO.: Appeal (civil) 5607 of 2007

"Mistake" is an ordinary word but in taxation laws, it has a special significance. It is not an arithmetical error which, after a judicious probe into the record from which it is supposed to emanate is discerned. The word "mistake" is inherently indefinite in scope, as to what may be a mistake for one may not be one for another. It is mostly subjective and the dividing line in border areas is thin and indiscernible. It is something which a duly and judiciously instructed mind can find out from the record. In order to attract the power to rectify under Section 22, it is not sufficient if there is merely a mistake in the order sought to be rectified. The mistake to be rectified must be one apparent from the record. A decision on a debatable point of law or a disputed question of fact is not a mistake apparent from the record. The plain meaning of the word "apparent" is that it must be something which appears to be so ex facie and it is incapable of argument or debate. It, therefore, follows that a decision on a debatable point of law or fact or failure to apply the law to a set of facts which remains to be investigated cannot be corrected by way of rectifications.

B. T. S. Balaram, Income Tax vs. M/S. Volkart Brothers, Bombay on 5 August, 1971 Equivalent citations: 1971 AIR 2204, 1972 SCR (1) 30

"A mistake apparent on the record must be an obvious and patent mistake and not something which can be established by a long drawn process of reasoning on points on which there may conceivably be two opinions."

C. Thungabhadra Industries Ltd vs The Government Of Andhra Pradesh on 22 October, 1963 (Equivalent citations: 1964 AIR 1372, 1964 SCR (5) 174)

"There is a distinction which is real, though it might not always be capable of exposition, between a mere erroneous decision and a decision which could be characterised as vitiated by "error apparent". A review is by no means an appeal in disguise whereby an erroneous decision is reheard and corrected. but lies only for patent error. We do not consider that this furnishes a suitable occasion for dealing with this difference exhaustively or in any great detail, but it would suffice for us to say that where without any elaborate argument one could point to the error and say here is a substantial point of law which stares one in the face, and there could reasonably be no two opinions entertained about it, a clear case of error apparent on the face of the record would be made out.

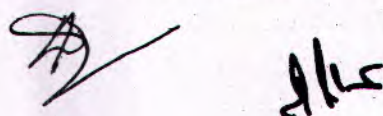
D. The Apex Court in the case of Satyanarayan Laxminarayan Hegde vs. Mallikarjun Bhavanappa Tirumale reported in AIR 1960 SC 137 has made the following observations in connection with an error apparent on the face of the record:

"An error which has to be established by a long- drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions can hardly be said to be an error apparent on the face of the record. Where an alleged error is far from self-evident and if it can be established, it has to be established, by lengthy and complicated arguments, such an error cannot be cured by a writ of certiorari according to the rule governing the powers of the superior court to issue such a writ."

E. ACTO vs. Makkad Plastic Agencies 29 Tax Update 253 (SC)

"18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re-appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and

लगातार.....10



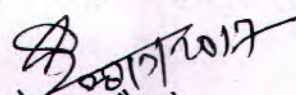
scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re-appreciating the evidence on record and holding that there was no malafide intention on the part of assessee-respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records."

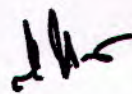
17. उक्त निर्णयों में स्पष्ट किया गया है जो तथ्य या विधि सुस्थापित थी एवं उसमें किसी तरह का debatable issue नहीं था बल्कि केवल error से अन्यथा निष्कर्ष प्राप्त किया है एवं किसी बिन्दु पर कोई दो राय नहीं हो एवं न ही किसी सुनवाई कर निर्णय करने की आवश्यकता हो ऐसी भूल केवल mistake apparent on record ही होती है।

18. उक्त दोनों अपीलाधीन प्रकरणों में सम्पूर्ण तथ्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध थे एवं करमुक्ति का लाभ निश्चित राशि का दिया जाना था एवं इस सम्बन्ध में कोई नया निर्णय पारित करने की आवश्यकता नहीं थी बल्कि केवल गणना की जानी थी। यह उल्लेख किया जाता है कि इस बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक ने भी विरोध नहीं किया है कि उनको करमुक्ति का एक निश्चित लाभ प्राप्त था और जितनी गणना करनी चाहिये थे उससे अधिक गणना कर लाभ प्राप्त किया गया है, त्रुटिपूर्ण था। माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर वर्णित निर्णयों के आलोक में उक्त प्रकरणों में रही भूल में Two opinion नहीं थी, न ही भूल को पता करने के लिये किसी जांच की आवश्यकता थी बल्कि यह clear mistake on the face of record थी, जिसे अधिनियम की धारा 37 के तहत ही संशोधन कर त्रुटि में सुधार किया जा सकता था। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत Apparent error of calculation of exemption amount को दुरुस्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त कर निर्धारण आदेशों को धारा 37 में पारित करने को गलत बताते हुए उन्हें अपास्त करने में विधिक भूल की है अतः समस्त अपीलाधीन अपीलीय आदेश अपास्त किये जाते हैं।

19. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की चारों अपीलें स्वीकार की जाती हैं एवं अपीलीय आदेश अपास्त किये जाकर, कर निर्धारण आदेशों को बहाल (restore) किया जाता है।

20. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष